


14.10.19

पत्रावली पेश हुई। वक्त अदालत बार-बार आवाज लगावाइ गई। वकील प्राथिका/अपीलान्ट या स्वयं प्राथिका/अपीलान्ट उपस्थित नहीं वकील रेसपो सं. 1 की ओर से उपस्थित प्राथिका/अपीलान्ट के वकील या स्वयं प्राथिका/अपीलान्ट के उपस्थित नहीं होने पर प्रा.पत्र/अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम करी में श्वारिज की जाती है पत्रावली फर्ज न. से कम होकर बाद तक मील लिखित रूप में ही


अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)
जयपुर